स्वराज का सपना

सुनीता ठाकुर

स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक का यह नारा हमारी आज़ादी का मूलमंत्र बना और आज आज़ादी के पचास वर्षों में भी यही नारा बराबर गूंजता रहता है। स्वराज-स्वशासन यानी अपनी सरकार, अपना शासन। शासक भी हम, शासित भी हम। लोकतंत्र का यही नारा गांवों के स्तर पर पंचायतीराज का सपना साकार करता है।

भारत जैसे देश में जहां 80 प्रतिशत जनता गांवों में बसी हो। पंचायती राज एक ऐसा सपना है जिसे पूरा करना निहायत जरूरी हो जाता है। गांवों की पूंजी की देखभाल (जल, जंगल, जमीन) और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पंचायती राज की जरूरत महसूस हुई ताकि अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए गांवों को शासन का मोहताज न रहना पड़े। वे आत्मनिर्भर हों।

पंचायतों में महिला आरक्षण

आज समाज में औरत की भागीदारी को स्वीकारा जा रहा है। उसके विकास के लिए तमाम योजनाएं, संस्थाएं जी-तोड़ मेहनत कर रही हैं। हर व्यवसाय में उसे आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। गांव में भी पंचायत स्तर पर औरतों के 33 प्रतिशत आरक्षण को स्वीकार किया गया है। इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। साथ ही तीनों स्तर पर एक तिहाई अध्यक्ष पद औरतों के लिए आरक्षित होंगे।

पंचायत समिति में एक तिहाई ऐसी ग्राम पंचायतें होंगी जिनमें केवल औरतें ही सरपंच होंगी। ज़िले में एक तिहाई ऐसी पंचायत समितियां होंगी जिनमें केवल औरतें ही पंचायत समिति की अध्यक्ष बनेंगी। राज्य में एक तिहाई ऐसे जिले होंगे जिनमें केवल औरतें ही जिला परिषद की अध्यक्ष बनेंगी।

नया पंचायतीराज अधिनियम

नया पंचायती राज अधिनियम (तिहत्तरवां संशोधन) औरत को गांव और जिला स्तर पर प्रशासनिक

कार्यों में आगे बढ़ने का भरपूर मौका और हक देता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि चाहे पढ़ी लिखी हो या कम पढ़ी-लिखी, महिला की शिक्षा नहीं, उसके सामाजिक कार्यों को महत्व देते हुए उसके विकास के द्वार खोले गए हैं। अब गांव की महिलाएं भी खुलकर अपने अधिकार की मांग का सपना सच होते देख सकती हैं। साथ ही महिला कार्यकत्ताओं के आगे बढ़ने और सत्ता में आ जाने से औरतों में आत्मविश्वास, सम्मान की भावना बढ़ी है। वे समाज में कहीं अधिक सुरक्षित भी महसूस कर रही हैं। सबसे बड़ी बात उनके आत्म विश्वास को जगाने की है। यही इस आरक्षण की महत्ता भी है, क्योंकि बिना कानूनी ताक्त के औरतों के विकास का सपना देखना फिजूल ही लगता है।

पंचायती राज में औरतों की भागीदारी अब तक एक दिखावा था। अब उनके राजनीति में आगे बढ़ने का रास्ता खुला है। वह सीधा चुनाव लड़कर बड़ी संख्या में पंचायत में हिस्सेदारी ले पाएंगी।

एक मोटे अनुमान अनुसार

आने वाले पंचायत चुनावों में लगभग आठ लाख औरतें राजनीति में आएंगी। चुनावों द्वारा प्रतिनिधि बनकर वे जनता की सीधी भागीदारी से पंचायत का सदस्य बनेंगी। पहले औरतें सरपंच आदि के द्वारा नाम सुझाए जाने पर पंचायत में सदस्य बनती थीं। उनकी भागीदारी भी नाम की होती थी। साथ ही सरपंच के प्रति ही वे जवाबदेही होती थीं। उनकी कृपादृष्टि की पात्र होती थीं, लेकिन अब राजनीति में वे जनता के मत और अपने बूते पर काम करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

पंचायत में आरक्षण से एक तिहाई स्थान पर तो औरतें चुनकर आएंगी ही, पर यह समझना भी जरूरी है कि वे बाकी सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती हैं।

कानून द्वारा बड़े पैमाने पर सुधार करके औरतों के विकास के नए द्वार खोले गए हैं, लेकिन इसका कितना बड़ा असर होगा वह प्रश्न है। जरूरत महिलाओं में इस संशोधन की जानकारी, जागरूकता और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने की है। सिर्फ़ नीतियां और कानून बनाकर ही सरकार दामन नहीं झाड़ सकती। उसे देखना होगा कि उतने ही आदर्श रूप में वह लागू भी हो। खुद हमें अपने अधिकारों के लिए सचेत रहना होगा। हमें अपने फैसले खुद करने होंगे। जब तक हम खुद कदम नहीं बढ़ाएंगी दुनिया रास्ता नहीं छोड़ेगी।

बदलाव आएगा

राजनीति का क्षेत्र औरतों के लिए (खासकर गांव की) नया है। वह अभी तक इस दुनिया के तौर तरीकों से दो चार नहीं हुई हैं।

दूसरे औरत होने के नाते उन्हें औरतों पर होने वाले अन्याय, अत्याचार का अहसास है। इसलिए उम्मीद है कि वे न्याय का पक्ष लेंगी। औरतों की समस्याएं सुलझाएंगी। उनके विकास के लिए काम करेंगी।

आरक्षण से कम से कम एक तिहाई संख्या औरतों की होगी पंचायतों में । उन्हें एक दूसरे से ताकत मिलेगी। एकजुट होकर वे ज्यादा ताकतवर फैसले कर पाएंगी और पंचायतों में भी उनकी आवाज सुनी जाएगी।

साथ ही औरतों के फायदे और तरक्की के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं और महिला संगठनों की योजनाओं को (सरकारी दबाव के साथ) लागू कर पाना अधिक सरल हो सकेगा।

तस्वीर का दूसरा पहलू

तस्वीर का दूसरा रूप भी है। आरक्षण के बावजूद औरतों की हालत पार्टी में वैसी ही है जैसे समाज में। पार्टी के फ़ैसलों में उनकी भागीदारी न के बराबर है। पार्टी के आन्दोलनों और बैठकों में बढ़चढ़कर हिस्सा लेने के बावजूद नेतृत्व में उनका कोई स्थान नहीं रहने दिया जाता। पूरी कोशिश उन्हें हाशिए पर रखने की होती है। तीस प्रतिशत आरक्षण की घोषणा के बावजूद उन्हें पार्टी की कमान या नेतृत्व नहीं सौंपा जाता। चुनावों में भी बेहद कमज़ोर सीटों पर ही उन्हें खड़ा किया जाता है।

राजनैतिक पार्टियां औरतों के मुद्दे उनके कल्याण की घोषणा, नीतियां वोट-बैंक बढ़ाने के लिए बनाती हैं। वरना तो जाति और धर्म की दुहाई देकर सती और शाहबानो जैसे गंभीर मामलों को भी नकार दिया जाता है।

हमें अपनी पितृसत्तात्मक सोच से मुक्त होना होगा। पत्नी, बहू, मां की आदर्शवादी सोच को तोड़ना होगा। तभी हम आजादी से कुछ कर पाएंगी। हमें जो अधिकार दिए गए हैं वे पूरी स्त्री जाति के विकास के लिए दिए गए हैं।

इन सब हालातों को सुधारने के लिए हमें खुद आगे बढ़ना होगा। प्राय: आज भी वे अपने फैसलों के लिए मर्दों की मर्जी की मोहताज हैं। हमें अपनी पितृसत्तात्मक सोच से मुक्त होना होगा। पत्नी, बहू, मां की आदर्शवादी सोच को तोड़ना होगा। तभी हम आजादी से कुछ कर पाएंगी। हमें जो अधिकार दिए गए हैं वे पूरी स्त्री जाति के विकास के लिए दिए गए हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अधिकारों का उपयोग करना सीखें। घूंघट और रिवाजों की दीवार तोड़कर इनका सही इस्तेमाल करें। □

अपना गांव अपना राज–पुस्तिका पर आधारित लेख

मंज़िलें उन्हीं की होती हैं जो राहों के जोखिम उठाते हैं,
कांटों की सेज पर ही फूल ज़िन्दगी के मुस्कुराते हैं।